



प्रेस नोट थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर



सराहनीय कार्य दिनांक- 04.02.2025

नाबालिग लडकी के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने वाले दो अभियुक्तगण को पुलिस मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस पुलिस अधीक्षक, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल प्रयवेक्षण व तथा प्रभारी निरीक्षक थाना रोजा के कुशल नेतृत्व में थाना रोजा पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 70/25 धारा 70(2), 115(2), 126(2), 351(3) बीएनएस, 5(जी)/6 पाक्सो एक्ट व 66 (E) IT Act के वांछित अभियुक्तगणों को मुखबिर खास से प्राप्त सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त के संबंधित अभियुक्तगण गुरीं नहर से होते हुए लखीमपुर जाने की फिराक में है। सूचना पर थाना रोजा क्षेत्रान्तर्गत गुरीं नहर से सरही की तरफ जाने वाले कच्ची नहर की पटरी पर करीब 600 मी0 नेकनामपुर तिराहे के पास पहुँचे तो वहाँ से जा रहे 02 व्यक्ति अचानक पुलिस को अपनी तरफ आता देख पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने लगे, जिससे पुलिस टीम में मौजूद आरक्षी विकास नागर घायल हो गए। आत्मरक्षा व अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु जवाबी पुलिस फायरिंग व मुठभेड़ में दो अभि0 तसब्बर पुत्र अफजल निवासी ग्राम पडरा सिकन्दरपुर, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर एवं बाल अपचारी थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर घायल हुए। घायल हालत में गिरफ्तार अभि0गण तसब्बर उपरोक्त व बाल अपचारी उपरोक्त एवं आरक्षी विकास नागर को बेहतर उपचार हेतु जिला अस्पताल, शाहजहाँपुर मे भर्ती किया गया। अभियुक्त तसब्बर के पास से एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय एक नाल में फसा खोखा व एक अदद जिन्दा कारतूस व नकद 640/- रु0 तथा बाल अपचारी उपरोक्त से 530/- रु0 बरामद हुए। अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 71/25 धारा 3(5)/109 (पु0मु0) बी.एन.एस. व 3/25/27 आयुध अधि0 पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

संक्षिप्त विवरण :-

दिनांक 03.02.2025 को वादी द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री के साथ अभियुक्तगण 1. तसब्बर पुत्र अफजल, निवासी ग्राम पडरा सिकन्दरपुर, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर 2. बाल अपचारी, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर व 3. कुंवर पाल पुत्र छेदालाल, नि0 ग्राम फकरगंज, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने तथा वीडियो वायरल करने के सम्बन्ध में दी गई तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 70/25 धारा 70(2), 115(2), 126(2), 351(3) बीएनएस, 5(जी)/6 पाक्सो एक्ट व 66 (E) आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 04.02.2025 को प्रभारी निरीक्षक रोजा के नेतृत्व में थाना रोजा पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान करीब 00.30 बजे गुरीं नहर से सरही की तरफ जाने वाले कच्ची नहर की पटरी पर करीब 600 मी0 नेकनामपुर तिराहे के पास अभियुक्तगण तसब्बर तथा बाल अपचारी उपरोक्त को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त तसब्बर उपरोक्त के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय एक नाल में फसा खोखा व एक अदद जिन्दा कारतूस व नकद 640/- रु0 तथा बाल अपचारी उपरोक्त से 530/- रु0 बरामद हुए। मुठभेड़ में दो अभि0 तसब्बर पुत्र अफजल निवासीगण ग्राम पडरा सिकन्दरपुर, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर एवं बाल अपचारी निवासी थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर घायल हुए। घायल हालत में गिरफ्तार अभि0गण तसब्बर उपरोक्त व बाल अपचारी उपरोक्त एवं आरक्षी विकास नागर को बेहतर उपचार हेतु जिला अस्पताल, शाहजहाँपुर मे भर्ती किया गया तथा घायल/गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण तसब्बर तथा बाल अपचारी उपरोक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रोजा पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण :-

1. तसब्बर पुत्र अफजल उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम पडरा सिकन्दरपुर, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर
2. बाल अपचारी निवासी थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर

वांछित अभियुक्त :-

1. कुंवर पाल पुत्र छेदालाल उम्र करीब 22 वर्ष, नि0 ग्राम फकरगंज, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर

अपराधिक इतिहास :-

तसब्बर पुत्र अफजल

1. मु0अ0सं0 70/25 धारा 70(2),115(2),126(2), 351(3) बीएनएस,5(जी)/6 पाक्सो एक्ट व 66 (E) IT Act
2. मु0अ0सं0 71/25 धारा 3(5)/109 (पु0मु0) बी.एन.एस. व 3/25/27 आयुध अधि0

बाल अपचारी

1. मु0अ0सं0 70/25 धारा 70(2),115(2),126(2), 351(3) बीएनएस,5(जी)/6 पाक्सो एक्ट व 66 (E) IT Act
2. मु0अ0सं0 71/25 धारा 3(5)/109 (पु0मु0) बी.एन.एस. व 3/25/27 आयुध अधि0

गिरफ्तारी का स्थान व समय :-

दिनांक 04.02.25 को समय करीब 00.30 बजे गुरी नहर से सरही की तरफ जाने वाले कच्ची नहर की पटरी पर करीब 600 मी0 नेकनामपुर तिराहे के पास

पंजीकृत अभियोग :-

1. मु0अ0सं0 71/25 धारा 3(5)/109 (पु0मु0) बी.एन.एस. व 3/25/27 आयुध अधि0

पूछताछ का विवरण :-

पकड़े गये अभियुक्तगण से पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने व भागने का कारण पूछा गया तो दोनों अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक 29.01.25 को हम तीनों लोग सुबह करीब गुरी हाईवे के किनारे जा रहे थे कि तभी हमने देखा कि एक लड़की जंगल की ओर सुनसान रास्ते पर जा रही थी, उसे अकेला जाते देखकर हमारी नियत खराब हो गई और हम तीनों उस लड़की के पीछे पीछे चल दिये तथा डेरा बाबा जंगल के पास उस लड़की को पकड़ लिया और बारी बारी से हम दोनों लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया तथा दुष्कर्म के दौरान कुंवर पाल ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। घटना करने के बाद उस लड़की को वहीं छोड़कर हम लोग अपने अपने घर चले गये थे। आज हम दोनों लोग लखीमपुर जाने की फिराक में थे कि जब हम लोग गुरी नहर से सरही की तरफ जाने वाले कच्ची नहर की पटरी होते हुए नेकनामपुर तिराहे के पास पहुँचे तो आप लोगो को देखकर हमने पकड़े जाने के डर से तथा पुलिस से बचने के चक्कर में हमने आप लोगों पर फायरिंग कर दी थी। दोनों अभियुक्तों से अभियुक्त कुंवर पाल पुत्र छेदालाल नि0 ग्राम फकरगंज, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर के बारे में पूछा गया तो बताया कि हमने उसे घटना वाले दिन ही देखा था, उसके बाद हम लोगों को नहीं पता कि वह कहाँ गया।

बरामदगी :-

1. एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय एक नाल में फसा खोखा
2. एक अदद जिन्दा कारतूस
3. नकद कुल 1170/- रू0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार
2. उ0नि0 श्री राजेश कुमार
3. उ0नि0 प्रमोद कुमार
4. रि0उ0नि0 राकेश
5. कां0 2123 राजेश कुमार
6. कां0 2227 अरुण तोमर
7. कां0 2621 रितेश कुमार
8. कां0 2625 नितिन सिंह
9. कां0 1813 ओम प्रकाश
10. कां0 2449 विकास नागर